संख्या-94/2016/1134/41-2016-07 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 10 अगस्त,2016

विषय- मा0 सलाहकार पर्यटन विभाग को मानदेय, भत्ते आदि का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-472/3-लेखा/पर्य0 सलाह0/2016-17, दिनॉक 27-06-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 सलाहकार पर्यटन विभाग को मानदेय, भत्ते आदि का भुगतान किये जाने हेतु 07-मानदेय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 4.20 लाख (रू0 चार लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 19/2016/53/41-2016-07 यो0/16, दिनांक 09 जनवरी, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मा0 सलाहकार पर्यटन विभाग को मानदेय, भत्ते आदि का भुगतान किये जाने हेतु 07-मानदेय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 4.80 लाख (रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय-01-वेतन-03-मंहगाई भत्ता के मानक मद की धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-07-मानदेय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आरई0--ई0-7-590/दस-2016, दिनांक 01 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-94/2016/1134(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in